

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

रतनलाल

बनाम

अन्नु वगै०

क्रिस्म मुकदमा:- वाद पत्र धारा 53,188


मु०नं० ५८९ सन् 2024

जीसीएमएस नं.

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादीगण की ओर से श्री
~~मुसरीलाल सम्रा~~ एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर
प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे।
पत्रावली दिनांक 06.12.2024 को पेश हो।


(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना

6/12/24
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 28/12/25 को पेश हो।

28/02/2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने
आज अदालती कार्य का स्थगन कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 23/06/25 को पेश हो।

23 $\frac{4}{25}$ पत्रावली पेश हुयी। वादी व वकील वादी रील्वर
उपस्थित होकर डा. फग, डा. फग सिद्धा मंडली
~~के~~ मिस्तर तलबी के साथ पेश किया।
वादी को पुनः गन्दा। पत्रावली का शपथीकरण
किया गया। अतः वादी का वादपत्र दाव विद्वाकी
शपथी के साथ ड्रेफ किया जात है। पत्रावली
केवल शुभार होकर नष्ट है साथ हीकर
दफतल दाखिल हो।

मिर्छा स्टे ड्रज्वारु डुगायागया)



रतनलाल